



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरविविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1049/2020आदेश सुरक्षित किया गया :10.7.2025आदेश पारित किया गया : 06.08.2025

1. श्रीमती मणि बाई राजपूत पति नोहर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 45 वर्ष
 2. सागर सिंह राजपूत पिता नोहर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 26 वर्ष
 3. आकाश सिंह राजपूत पिता नोहर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 23 वर्ष
 4. अभय सिंह राजपूत पिता नोहर सिंह राजपूत, उम्र लगभग 17 वर्ष (वर्तमान आयु लगभग 18 वर्ष), सभी निवासी वार्ड क्रमांक 23, सुभाष नगर, महासमुंद, पुलिस थाना, तहसील एवं जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
- अपीलकर्ता-दावाकर्ता

बनाम

1. दशरथी सुनानी पुत्र सेनापति सुनानी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी आमाढोला, पुलिस स्टेशन जूनागढ़, कालाहांडी (ओडिशा), (आक्रामक टैंकर क्रमांक सीजी-04, एलजे-5151 का चालक),
2. पंकज कुमार झा पुत्र शारदानंद झा निवासी श्रीराम नगर, शंकर नगर, रायपुर, थाना शंकर नगर, तहसील व जिला रायपुर छत्तीसगढ़। (आक्रामक टैंकर क्रमांक CG-04, LJ-5151 का मालिक),
3. शाखा प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मदीना बिल्डिंग, कचहरी चौक, जेल रोड, जिला रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़। (अपराधी टैंकर संख्या CG-04, LJ-5151 का बीमाकर्ता),
4. नोहर सिंह राजपूत पुत्र मनमोहन सिंह राजपूत, आयु लगभग 150 वर्ष, वर्तमान निवासी मंदिर हसौद, पुलिस थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

अपीलकर्ताओं हेतु: श्री राघवेंद्र प्रधान, अधिवक्ता तथा सुश्री प्राची सिंह, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 हेतु : श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता

माननीय पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीशसीएवी आदेश

1. अपीलकर्ताओं-दावेदारों ने विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, महासमुंद (संक्षेप में 'दावा न्यायाधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण संख्या एच-24/2019 में दिनांक 07.03.2020 के निर्णय के तहत दिए गए क्षतिपूर्ति में वृद्धि की मांग करते हुए यह अपील दायर की है।



2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि दावाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 166 के तहत शेखर सिंह राजपूत की दिनांक 25.7.2018 को हुई दुर्घटना में मृत्यु के लिए आवेदन दायर किया था, जो कथित तौर पर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा पंजीकरण चिह्न CG-04, LJ-5151 (संक्षेप में 'अपराधी वाहन') वाले टैंकर को चलाते समय लापरवाही और उतावलेपन के कारण हुई थी। यह आरोप लगाया गया है कि भीमसेन पांडे अपनी मोटरसाइकिल से महासमुंद से रायपुर जा रहे थे, भगत पेट्रोल पंप के पास चालक द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण उनकी मोटरसाइकिल को अपराधी वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप भीमसेन को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय, शेखर सिंह राजपूत 26 वर्षीय अविवाहित थे, जो यश ट्रांसपोर्ट, महासमुंद में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और 30,000/- रुपये प्रति माह कमाते थे। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण, दावाकर्ता को आय का नुकसान हुआ है।

3. अनावेदक संख्या 1 और 2, जो कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक और स्वामी हैं, ने संयुक्त रूप से दावा आवेदन पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया है कि दावा आवेदन झूठे और तुच्छ आधार पर दायर किया गया है। मृतक स्वयं लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहा था, जिसके परिणामस्वरूप वह उस पर नियंत्रण खो बैठा और गिर गया। दुर्घटना के समय, अनावेदक संख्या 1, जो कि चालक है, के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था, और दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा अनावेदक संख्या 3 के नाम पर था और चूंकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार सड़क पर चलाया जा रहा था, इसलिए अनावेदक संख्या 3 बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है।

4. अनावेदक संख्या 3- बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया जिसमें तर्क दिया गया है कि सभी दावाकर्ता वयस्क होने के कारण मृतक की आय पर निर्भर नहीं थे। दुर्घटना के समय मृतक ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। दुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त वाहन से नहीं हुई थी। इसके अलावा, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तिथि पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

5. दावा न्यायाधिकरण ने पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सामग्रियों का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना उसके चालक द्वारा अपराधी वाहन के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी, बीमा पॉलिसी



की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ था और तदनुसार, आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया, रु.15,48,000/- रुपये का एकमुश्त क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया

6. दावाकर्ता /अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक 26 वर्ष का था, प्रति माह 30,000/- रुपये कमाता था और इसके समर्थन में, दावाकर्ता ने आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया है, हालांकि, दावा न्यायाधिकरण ने आयकर रिटर्न में दिखाई गई आय पर भरोसा नहीं किया और गलती से मृतक की आय का काल्पनिक आधार पर आकलन किया। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोनीग्रा जूही उत्तमचंद** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, (2025) 3 एससीसी 23 में रिपोर्ट किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर रिटर्न को ध्यान में रखते हुए मासिक आय तभी तय की जा सकती है जब कर के भुगतान का विवरण उचित रूप से साक्ष्य में लाया जाए ताकि न्यायाधिकरण/न्यायालय विधि के अनुसार आय की गणना कर सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती, आश्रितों की संख्या '4' होने पर विचार करते हुए केवल एक-तिहाई होनी चाहिए थी, न कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा काटी गई आधी। दावा न्यायाधिकरण ने मृतक के भाई, अपीलकर्ता संख्या 2 से 3 को संघ की हानि कि क्षतिपूर्ति नहीं दिया है, बल्कि मृतक की माँ, अपीलकर्ता संख्या 1 को संघ की हानि के लिए केवल 40,000 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया है। उपरोक्त आधारों पर, वह प्रार्थना करती है कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये क्षतिपूर्ति की राशि में उचित वृद्धि की जाए।

7. प्रतिपक्षी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि दावेदारों की ओर से प्रस्तुत आयकर रिटर्न पर आयकर विभाग की कोई रबर स्टैम्प और हस्ताक्षर नहीं हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि आयकर रिटर्न निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग द्वारा उचित पावती के बिना, बिना हस्ताक्षर के केवल ITR-V की ई-फाइलिंग को "ई-रिटर्न" या कर का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दावेदारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए आयकर रिटर्न में आयकर के ई-रिटर्न की कोई पावती या मृतक के हस्ताक्षर नहीं हैं और इस प्रकार, यह केवल ITR-V का एक रूप है जिसे मृतक की ओर से दायर आयकर रिटर्न नहीं माना जा सकता है। इसलिए, दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का आकलन करने के लिए आयकर रिटर्न पर भरोसा नहीं किया। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने **सोनीग्रा**



जूही उत्तमचंद (सुप्रा) और संगीता आर्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2020) 5 एससीसी

327 में रिपोर्ट किए गए मामले में निर्णय पर भरोसा किया।

8. मैंने पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना है संबंधित पक्षों से बात की गई तथा आक्षेपित पंचाट सहित दावा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

9. जहां तक क्षतिपूर्ति की राशि का सवाल है, दावाकर्ता ने तर्क दिया गया है कि मृतक यश ट्रांसपोर्ट में मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था और व्यक्तिगत तौर पर ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी चला रहा था। दावाकर्ता ने मृतक की यश ट्रांसपोर्ट में मैनेजर के तौर पर नियुक्ति और उससे होने वाली कमाई को साबित करने के लिए न तो कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया है और न ही यश ट्रांसपोर्ट के मालिक से पूछताछ की है। हालांकि, मृतक की खुद के कारोबार से होने वाली आय साबित करने के लिए दावेदारों ने आकलन वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के आयकर रिटर्न पेश किए हैं, जिन्हें एक्स.पी-16 से एक्स.पी-19 के तौर पर चिह्नित किया

गया है। इन आयकर रिटर्न में मृतक की कुल सकल आय क्रमशः 1,14,500/- रुपये, 1,63,450/- रुपये, 2,58,150/- रुपये और 3,13,640/- रुपये दिखाई गई है। इन आयकर रिटर्न को साबित करने के लिए, दावेदारों ने भरत साहू (AW-2) से पूछताछ की, जिन्होंने मृतक की ओर से आयकर रिटर्न (प्रदर्श पी-16 से प्रदर्श पी-19) तैयार और दाखिल किए थे। इस गवाह के अनुसार, वर्ष 2014-15 से मृतक 'एस.एस. ट्रेडर्स' के नाम और शैली में फल और सब्जियाँ बेचने का थोक व्यापार कर रहा था और उसने मृतक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आयकर रिटर्न तैयार किया था। उसने गवाही दी है कि मृतक द्वारा बताई गई आय के लिए, लेखा पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपनी जिरह के पैरा-7 में, उसने विवरण दिया है कि खातों का निराकरण कैसे किया गया और मृतक की सकल आय 3,13,540/- रुपये कैसे दर्शाई गई, अर्थात् व्यवसाय से आय और अन्य स्रोतों से आय। उसने गवाही दी है कि आयकर रिटर्न (प्रदर्श पी-16 से प्रदर्श पी-19) ऑनलाइन जमा किए गए थे, जिन पर करदाता के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है।

10. दावा न्यायाधिकरण ने मृतक की अनुमानित आय 10,000 रुपये प्रति माह मानी और दावेदारों द्वारा प्रस्तुत आयकर रिटर्न पर विचार नहीं किया, जिसमें यह दर्ज था कि इन आयकर रिटर्न में मृतक की अनुमानित आय है, आय और व्यय का विवरण नहीं दिया गया है, प्रदर्श पी-19 में 490 रुपये का नाममात्र कर चुकाया गया है और इसलिए, आयकर रिटर्न (प्रदर्श पी-16 से प्रदर्श पी-19) के आधार पर मृतक की आय का निश्चित आकलन



नहीं किया जा सकता क्योंकि इस प्रकार के आयकर रिटर्न संघर्षरत युवा कई अन्य उद्देश्यों के लिए रखते हैं। दावा न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष न केवल बेतुका है, बल्कि 1988 के अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर दावा आवेदन के संबंध में प्रतिपूरक न्यायशास्त्र से भी असंगत है।

11. यह सर्वविदित है कि आयकर रिटर्न, जिसमें आयकर निर्धारिती द्वारा आय की घोषणा शामिल होती है, वैधानिक दायित्व के अनुपालन में दाखिल किया गया एक वैधानिक दस्तावेज है और दावे की कार्यवाही में मृतक की वार्षिक आय का निर्धारण, जहां भी उपलब्ध हो, आयकर रिटर्न के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

12. कल्पनाराज एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के मामले में, (2015) 2 एससीसी 764 में रिपोर्ट किया गया, उच्च न्यायालय ने मृतक की मासिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के बजाय काल्पनिक आधार पर करने के न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को नकार दिया, जो कि मासिक आय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य ही था, और ऐसी परिस्थिति में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आयकर रिटर्न के आधार पर मासिक आय निर्धारित करने में उच्च न्यायालय का निर्णय सही था। उक्त निर्णय के कंडिका-6 और 8 के सुसंगत भाग प्रासंगिक हैं और उन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"6. उच्च न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि न्यायाधिकरण ने आयकर रिटर्न में दर्शाई गई आय पर भरोसा करने के बजाय मृतक की पत्नी के साक्ष्य के बयान पर भरोसा करके गलती की है, जो मृतक की मासिक आय 15,000 रुपये निर्धारित करने के लिए है...."

8. यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक की मासिक आय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध एकमात्र दस्तावेजी साक्ष्य आयकर विभाग के साथ उनके द्वारा दायर आयकर रिटर्न है। इसलिए, आयकर रिटर्न के आधार पर मासिक आय निर्धारित करने में उच्च न्यायालय सही था...."

13. हाल ही में, श्रीमती अंजलि और अन्य बनाम लोकेंद्र राठौर के मामले में, 2022 एससीसी ऑनलाइन सी 1683 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:-

"9. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक के आयकर रिटर्न की अनदेखी करके मृतक की आय का अनुमान लगाने में गंभीर त्रुटि की। अपीलकर्ताओं ने मृतक का आयकर रिटर्न (2009-2010) दाखिल किया था, जो मृतक की वार्षिक आय 1,18,261/- रुपये, लगभग 9,855/- रुपये प्रति माह दर्शाता है। मलारविझी एवं अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय ने पुनः पुष्टि की है कि आयकर रिटर्न एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर



वार्षिक आय की गणना के लिए, जहाँ उपलब्ध हो, भरोसा किया जाना चाहिए। मलारविझी (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"10. ...हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्धारण एमएसीटी संख्या 648/2018 मिथलेश एवं अन्य बनाम जितेंद्र सिंह एवं अन्य पृष्ठ संख्या 18/34 आयकर रिटर्न, जहाँ उपलब्ध हो, के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। आयकर रिटर्न एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है।"

14. उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कारकों की कसौटी पर वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि दावा अधिकरण ने मृतक की आय का आकलन करते समय आयकर रिटर्न पर अविश्वास करके गंभीर भूल की है। आयकर रिटर्न (प्रदर्श पी-16) पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि दावेदारों ने आयकर रिटर्न के साथ कुल आय की गणना और आयकर आयुक्त, आईटीडी-सीपीसी, बंगलुरु की ओर से केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग द्वारा जारी आईटीआर-V की प्राप्ति की पावती संलग्न की है। इस पावती रसीद के अनुसार, ई-फाइलिंग की तिथि 5.9.2015 है और सीपीसी, बंगलुरु में प्राप्ति की तिथि 16.9.2015 है। इस रसीद में नीचे एक नोट है कि "यह एक कंप्यूटर जनित ईमेल है और इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है"। सीबीडीटी की रिटर्न योजना की ई-फाइलिंग के अनुसार, जहां रिटर्न डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाता है, सफल प्रेषण पर कंप्यूटर आईटीआर-वी के रूप में पावती तैयार करेगा। इस प्रकार, सीपीसी द्वारा जारी उक्त आईटीआर-वी की प्राप्ति की पावती की प्रति, 16.9.2015 को इसकी प्राप्ति और 05.9.2015 को आकलन वर्ष -2014-15 के लिए आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। आयकर रिटर्न (एक्स.पी-17 से एक्स.पी-19) के संबंध में स्थिति भी ऐसी ही है।

15. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 रिटर्न के सत्यापन के बारे में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार, किसी व्यक्ति के मामले में धारा 115 डब्ल्यूडी या धारा 139 के तहत रिटर्न का सत्यापन स्वयं व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। दावेदारों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए आयकर रिटर्न के अवलोकन से पता चलेगा कि मृतक ने मृतक से प्राप्त सत्यापन के अनुसार रिटर्न का सत्यापन किया है। इस प्रकार, रिटर्न दाखिल करते समय 1961 के अधिनियम की धारा 140 की आवश्यकता भी पूरी हो गई है। इसलिए, केवल इसलिए कि मृतक के हस्ताक्षर आयकर रिटर्न, एक्स.पी-16 से एक्स.पी-19 पर दिखाई नहीं दे रहे थे, या किसी विशेष निर्धारण वर्ष के दौरान केवल नाममात्र



कर का भुगतान किया गया था, आयकर विभाग से पावती की मुहर वाले उपरोक्त आयकर रिटर्न के बारे में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था, खासकर जब दावा कार्यवाही उचित क्षतिपूर्ति देने के लिए सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की प्रकृति की हो। इसलिए, तकनीकी कारणों से आयकर रिटर्न को अस्वीकार करना, 1988 के अधिनियम के मूल उद्देश्य के विपरीत होगा। यह सर्वविदित है कि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन दस्तावेज़ नहीं बोल सकते और जब कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य मौजूद हो, तो उस आशय के किसी भी मौखिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, दावा न्यायाधिकरण को मृतक की वार्षिक आय को, जैसा कि आयकर रिटर्न (प्रस्ताव पी-19) में दर्शाया गया है, स्वीकार करना चाहिए था।

16. जहाँ तक उत्तरवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **सोनीग्रा जूही उत्तमचंद (सुप्रा)** के निर्णय पर भरोसा करने का प्रश्न है, उस मामले में आयकर रिटर्न की प्रतियाँ दाखिल की गई थीं, जिन पर दावा न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने विश्वास नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि की। वर्तमान मामले में, दावाकर्ता ने आयकर विभाग के लेटरहेड पर जारी पावती रसीद के साथ आयकर रिटर्न दाखिल किया है। उन्होंने रिटर्न दाखिल करने आदि को साबित करने के लिए आयकर सलाहकार से AW-2 के रूप में भी परीक्षा की है। उत्तरवादी बीमा कंपनी द्वारा इस बात का खंडन करने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि उक्त आयकर रिटर्न की विषय-वस्तु सही नहीं थी। अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर उत्तरवादी संख्या 3 को अलग पहचाने जाने के कारण उक्त निर्णय से कोई मदद नहीं मिलती है।

17. उपर्युक्त के तहत, मृतक की ओर से कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए दाखिल आयकर विवरणी को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय मृतक की आय ₹3,04,780/- प्रति वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है। वर्ष 2017-18 की आयकर विवरणी से यह ज्ञात होता है कि ₹492/- की राशि आयकर के रूप में अदा की गई थी, जो मृतक की आय से कटौती योग्य है और तदनुसार, मृतक की वार्षिक आय से ₹492/- की राशि घटाने के बाद, आश्रितता की हानि के मद में क्षतिपूर्ति की गणना के प्रयोजनार्थ मृतक की शुद्ध आय ₹3,04,288/- होगी। तदनुसार आदेश दिया जाता है।

18. दुर्घटना की तिथि पर मृतक 26 वर्ष का अविवाहित लड़का था, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ना, व्यक्तिगत खर्चों के लिए आधे की कटौती करना और गुणक '17' का आवेदन आश्रितता की हानि की गणना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के अनुरूप है। अन्य शीर्षकों यानी संपत्ति की हानि और अंतिम



संस्कार के खर्चों के तहत दिया गया क्षतिपूर्ति भी विधि के अनुरूप है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि दावा न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक के माता-पिता संघ के क्षतिपूर्ति के हकदार हैं, लेकिन संघ के नुकसान के लिए केवल 40,000/- रुपये की राशि का निर्णय दिया गया। यह सुस्थापित है कि सड़क यातायात दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु के मामले में, माता-पिता 'संतान संघ' के शीर्षक के तहत प्रत्येक 40,000/- रुपये की राशि के हकदार हैं। इसलिए, दावा न्यायाधिकरण ने संघ के नुकसान के लिए केवल 40,000/- रुपये का निर्णय पारित कर गलती की है। तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 और उत्तरवादी संख्या 4, जो मृतक के माता और पिता हैं, संतान संबंधी हानि के लिए 40,000/- रुपये प्रत्येक के हकदार होंगे।

19. उपर्युक्त के लिए, यह न्यायालय दावाकर्ता/अपीलकर्ताओं को देय क्षतिपूर्ति की राशि की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करता है।

20. तदनुसार, मृतक की आय 3,04,288/- रुपये प्रति वर्ष मानी गई है और भविष्य की संभावनाओं के लिए 40% जोड़ने पर, मृतक की मासिक आय 4,26,003/- रुपये होगी। इस राशि में से, मृतक के व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के लिए आधी राशि, जैसा कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा कटौती की गई है, काटी जानी है और आधी राशि काटने के बाद, आश्रितता की हानि 2,13,001/- रुपये होगी। दावा न्यायाधिकरण द्वारा लागू 17 का गुणक लागू करने पर, आश्रितता की हानि 36,21,017/- रुपये होगी। इसके अलावा, अपीलकर्ता संख्या 1 और उत्तरवादी संख्या 4, संतान संघ के लिए प्रत्येक 40,000/- रुपये की राशि के हकदार हैं। उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, अपीलकर्ता अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15,000/- रुपये और संपत्ति की हानि के लिए 15,000/- रुपये की राशि पाने के भी हकदार हैं। इस प्रकार, अब अपीलकर्ता-दावाकर्ता को मिलने वाली कुल क्षतिपूर्ति राशि 37,31,071/- रुपये है। इस बड़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर आवेदन की तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। विवादित निर्णय में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी। विवादित निर्णय के अनुसार अपीलकर्ताओं को वितरित की जाने वाली कोई भी राशि ऊपर दिए गए क्षतिपूर्ति की राशि से समायोजित की जाएगी।

21. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा आक्षेपित निर्णय को ऊपर दर्शाई गई सीमा तक संशोधित किया जाता है।



2025:सीजीएचसी:39126

सही/-
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

